Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 24/2025

श्री अहमद अली
निवासी– पीठ वाली गली
जमनपुर , सेलाकुई ,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम्

दिनांक: 31.07.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"मेरा बिजली का बिल दिनांक 15/04/2025 से 15/05/2025 तक का 9954 रूपये आया है जो पीछले बिलों को देखते हुए बहुत अधिक है जबकि मेरे घर में ना कोई निर्माण किया ना ही अन्य किसी स्रोत से हमारी बिजली की खपत बढ़ी है इसको देखते हुए हमने बिजली विभाग से प्रार्थना पत्र करके दिनांक 20/05/2025 को चैक मीटर लगवाया था और दिनांक 31/05/2025 को बिजली विभाग के कर्मचारी ने चैक मीटर निकालकर हमे 11 दिन का औसत बिजली की खपत बिल दिया जिसकी फोटो कॉपी इस प्रार्थना पत्र में सलंग्न है मैंने इस सम्बन्ध में अधिकारी अभियन्तां बिजली विभाग सेलाकुई के कार्यालय में भी दिनांक 05/06/2025 प्रार्थना पत्र देने की कोशिश की परन्तु उन्होंने*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून --2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रार्थना पत्र लेने से इंकार कर दिया (प्रार्थना पत्र साथ में सलंग्न है) और कहा कि आपको पूरा बिल देना पड़ेगा। महोदय मेरा मीटर खराब है क्योंकि उसमें कल सुबह दिनांक 11/06/2025 को भी जम्प मारा उसमे सुबह रिड़िग 17272 थी और शाम में 17468 हो गई थी।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपा उचित कार्यवाही करके हमारे बिजली के बिल को चैक मीटर के बिल के अनुसार बनवाने की कृपा करें। जिससे की हम अपना यथाशीघ्र बिजली का बिल जमा कर सके।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 510, दिनांकित 25/06/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोगक्ता के परिसर में चैक मीटर स्थापित किया गया था जो कि मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार समान उपभोग पर उतारा गया एवं उपभोक्ता के मीटर की एम०आर०आई० आख्यानुसार उपभोक्ता के परिसर में अर्थ फाल्ट दर्शा रहा है , जिससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता परिसर पर स्थापित मीटर पर अंकित उपभोग रीड़िंग सही व वास्तविक है जिसके आधार पर बीजक निर्गत किया गया है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार परिवादी की मूल शिकायत है कि उनका बिजली का बिल दिनांक 15/04/2025 से 15/05/2025 तक रू0 9954/– का आया है जो पीछले बिलों को देखते हुए बहुत अधिक है जबकि उनके घर में न कोई निर्माण किया न ही अन्य किसी स्त्रोत से बिजली की खपत बढ़ी है। इसको देखते हुए उन्होने बिजली विभाग से प्रार्थना पत्र दिनांक 20/05/2025 के द्वारा चैक मीटर लगवाया जो कि दिनांक 31/05/2025 को फाईनल किया गया। परिवादी की शिकायत के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 25.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपभोक्ता के मीटर संख्या 81625958 की एम०आर०आई० आख्यानुसार उपभोक्ता के परिसर में अर्थ फाल्ट दर्शा रही है, जिससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता परिसर पर स्थापित मीटर पर अंकित उपभोग रीड़िंग सही।

परिवादी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 03.07.2025 को मंच से अनुरोध किया गया था कि उनके विद्युत मापक के समान्तर पुनः एक अन्य विद्युत मापक स्थापित कर उनके विद्युत मापक की शुद्धता जॉच की जाए, जिसे मंच द्वारा स्वीकार करते हुए विपक्षी उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालनार्थ विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 30.07.2025 को अपनी आख्या पत्रांक संख्या 743 दिनांकित 26.07.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित शिकायतकर्ता के पुराने L&T मीटर संख्या 81625958 की एम0आर0आई0 मंच को पूर्व में भी उपलब्ध करा दी गयी थी। मंच के निर्देशानुसार उपभोक्ता के मीटर के साथ एक स्मार्ट मीटर संख्या 5748139 भी जॉच के लिये स्थापित किया गया था, जिसमें भी Earth Fault की पुष्टि हो गयी है। दोनों मीटर में Earth Fault आने के कारण यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता की आन्तरिक वायरिंग में लिकेज है, जिस कारण अनियमित उपभोग मीटर में प्रदर्शित हो रहा है।

मंच द्वारा प्रथम सुनवाई तिथि दिनांक 26.06.2025 को ही परिवादी को अपने संबंधित विद्युत संयोजन की आंतरिक वायरिंग को कुशल electrician से जॉच कराने हेतु सलाह दी गई थी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कही वायरिंग का कोई अन्य जुड़े हुए उपकरण अर्थ तो नही हो रहे है। उक्त के क्रम में परिवादी द्वारा अगली नियत सुनवाई तिथि में मंच को अवगत कराया गया कि उनके घर की आतंरिक वायरिंग ठीक है तथा कोई भी उपकरण अर्थ नहीं हो रहा है।

मंच द्वारा परिवादी के परिसर पर दो बार स्थापित चैक मीटर फाईनल सीलिंग दिनांक 31.05.2025 एवं 11.07.2025 का अवलोकन किया गया तथा पाया कि परिवादी के मेंन मीटर की खपत् एवं चैक मीटर की खपत में कोई अन्तर नहीं है, जिस से यह स्पष्ट है कि परिवादी का मीटर सही है। परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर तथा बाद में चैक मीटर के

V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

देहरादून --248C
दूरभाषः 0135-2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135-2763672-75 फैक्स-0135-2767:
ई-मेल cgrfgz@gmail.cor

रूप में स्थापित स्मार्ट मीटर की टेम्पर रिपोर्ट के अध्ययन से भी स्पष्ट है कि परिवादी की आंतरिक वायरिंग या कोई अन्य जुड़ा उपकरण अर्थ हो रहा है, जिस कारण मीटर वास्तविक उपभोग नही दर्शा रहा है।

मंच द्वारा परिवादी को यह सलाह दी जाती है कि वह अपनी वायरिंग की जॉच किसी कुशल electrician से करना सुनिश्चित करें क्योंकि आंतरिक वायरिंग सुरक्षित और विश्वसनीय है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयः परिवादी की है। इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद उपरोक्त परिस्थितियों में खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद-व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31/07/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

31/07/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 26 / 2025

श्रीमती शबाना पत्नी मौ० आशिफ , — परिवादी
निवासी– 06 दीप लोक जवाहर कालोनी ,
किशन नगर , देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक : 31.07.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि:–"*प्रार्थीनी के परिसर पर स्थित विद्युत संयोजन संख्या CD22223236023 चल रहा महोदय को उक्त संयोजन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थीनी का संयोजन दिनांक 20.10.2018 को लग गया था जिसके उपरान्त संयोजन पर जारी बिल लगभग 100 यूनिट के औसत अनुसार आये परन्तु दिनांक 12. 2025 को निर्गत बिल में 5855 यूनिट दर्शायी गई है जोकि बहुत ज्यादा अधिक है।*

महोदय आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि प्रार्थीनी अधिकतर शहर से बाहर रहता है जिस कारण प्रार्थी की वि खपत बहुत ही निम्न है। प्रार्थीनी द्वारा स–समय बिल जमा किया जाता है। प्रार्थीनी बिल प्राप्त करने के तुरन्त

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

यू०पी०सी०एल० के उपखण्ड व खण्ड कार्यालय के कई चक्कर लगा चुका है परन्तु प्रार्थी की सुनवाई कही नहीं रही है। प्रार्थीनी निम्न परिवार से आता है व आय का साधन बहुत सीमीत है।

प्रार्थी आपको यह भी ज्ञात कराना चाहता है कि प्रार्थीनी को यू०पी०सी०एल० द्वारा बिजली काटने की धमकियॉ दी रही है जिससे प्रार्थीनी मानसिक रूप से बहुत परेशान व पीडित है। अतः प्रार्थी आपके पैरो पर नतमस्तक है और न्य की अपेक्षा करता है।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 350, दिनांकित 14/07/2025 से मंच को निम्न अवगत करवाना है:–

1. उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं० CD22223236023 पर दिनांक 29/03/2025 को स्मार्ट मीटर लगा गया। स्मार्ट मीटर लगाते समय पुराने मीटर सं० 40029036 की अंतिम रीडिग 35578 पायी गयी थी (रीड़िग फोटो संग्लन) । उपभोक्ता की माह 03/2025 की बिल की रीड़िग 29742 पायी गयी थी। अतः उपभोक्ता के बि में 5836 यूनिट रूकी हुयी थी।
2. उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री का विश्लेषण करने पर पाया गया की उपभोक्ता को संयोजन निर्गत करने की ति 20/03/2016 से 12/06/2022 तक उपभोक्ता की कुल खपत 24923 यूनिट (27481–2558 = 2261) पा गयी जो कि औसतन 491 यूनिट प्रति माह है।
3. दिनांक 12/06/2022 से 18/03/2025 तक के बिलों के अनुसार उपभोक्ता की कुल खपत 2261 यूनि (29742–27481 = 2261) पायी गयी, जो कि औसतन 68.5 यूनिट प्रति माह है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

4. उपभोक्ता की 12/06/2025 से 29/03/2025 तक मीटर संख्या 40029036 की वास्तविक रीड़िग के अनुसार की कुल खपत 8097 यूनिट (35578–27481 = 8097) पायी गयी, जो कि औसतन 241.7 यूनिट प्रति माह है।
5. दिनांक 29/03/2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित करने की तिथि 01/07/2025 तक उपभोक्ता की कुल खपत 1085 यूनिट (1085–0= 1085) पायी गयी , जो कि औसतन 361.6 यूनिट प्रति माह है।
6. उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि दिनांक 12/06/2022 से 29/03/2025 तक की अवधि में मीटर रीडर द्वारा वास्तविक रीड़िग के अनुसार बिल नही निर्गत किये गये है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ता को हुआ है।
7. यह भी अवगत करवाना है की स्मार्ट मीटर परियोजना के अन्तर्गत पुराने मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य काफी तेज गति किया जा रहा है। दिनांक 29/03/2025 से तद्‌दिनांक तक बदले गये मीटरों की संख्या अधिक होने के कारण उपभोक्ता का पुराना मीटर ढूढने में थोड़ा समय लग रहा है। मीटर प्राप्त होने पर उसकी एम.आर.आई रिर्पोट भी माननीय मंच को उपलब्ध करवा दी जायेगी।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 384 दिनांकित 28.07.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं0 CD22223236023 पर पूर्व में स्थापित मीटर सं0 40029036 की एम.आर.आई. रिर्पोट पत्र के संलग्न कर आपको अवलोकनार्थ प्रेषित है। एम.आर.आई. रिर्पोट के अनुसार मीटर रीडिंग सही पायी गयी है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 18.03.2025 से 12.04.2025 अर्थात् 26 दिनों के एक विद्युत बिल चक्र में एकाएक 5855 यूनिट (5836 यूनिट पुराने मीटर + 19 यूनिट नये मीटर) का रू0 38420.00

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉव
देहरादून – 2
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27(
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27
ई–मेल cgrfgz@gmail.(

धनराशि का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो इतनी अधिक खपत पूर्व कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वयः भी अपनी आख्या में स्वीकार किया है कि मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग जाने के कारण परिवादी को उनकी वास्तविक खपत के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित नहीं किये गये, जब दिनांक 03.2025 को परिवादी के परिसर पर स्मार्ट मीटर लगाया गया उस समय परिवादी के पुराने मीटर संख्या 40029036 अंतिम रीडिंग 35578 थी, किन्तु उपभोक्ता की माह 03/2025 की बिल की रीडिंग 29742 यूनिट थी। अतः उपभो के बिल में 5836 यूनिट रूकी हुयी थी।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.2.1(2)*** के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिस के क्रम में विपक्षी वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिये बिल जारी करेगा।

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित बिल के पूर्व में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीर्टड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये है। उपरोक्त विनियम के आलोक से मंच का मत है कि वह सभी वास्तविक खपत के बिल है जो पूर्णतः सही है। विपक्षी द्वारा परिवादी को माह अप्रैल 2025 मे 5855 यूनिट का बिल निर्गत किया गया जिसे परिवादी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योकिं परिवादी के अनुसार यह बिल पूर्व बिलों की तुलना में अत्याधिक राशि का है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V,Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

मंच का मत है कि मीटर रीडर द्वारा विवादित बिल चक्र से पूर्व लम्बी अवधि से वास्तविक रीडिंग से कम रीडिंग अंकित की जा रही थी एवं एकाएक बिल चक्र 04/2025 में 1 किलोवाट संयोजन पर 5855 यूनिट की विद्युत खपत दर्शायी गई है, जो कि माननीय् ***UERC*** के उपरोक्त विनियमों का उल्लघन है, जिसे मंच स्वीकार नहीं करता है, ऐसी दशा में परिवादी को माह अप्रैल 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 03/2025, 02/2025 एवं 01/2025 की औसत खपत 89 यूनिट (78+87+101/3=88.66 यूनिट) पर सशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह अप्रैल 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 03/2025,02/2025 एवं 01/2025 की औसत खपत 89 यूनिट(78+87+101/3=88.66 यूनिट) पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उपखण्ड अधिकारी की आख्या दिनांक 14.07.2025 से स्पष्ट है कि मिलीभगत होने के कारण मीटर रीडर द्वारा परिवादी को कम रीडिंग के बिल निर्गत किये जा रहे थें, जिस कारण मीटर में यूनिट जमा हो गई जो की पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदले जाने के समय उजागर हुई। परिवादी द्वारा एकाएक अत्याधिक धनराशि का बिल प्राप्त होने पर अपनी आपत्ति मंच के समक्ष रखी। मंच द्वारा अपने उपरोक्त मत के क्रम में विवादित बिल को निरस्त कर दिया गया और पूर्व तीन बिल चक्रों की औसत खपत पर संशोधित करने का आदेश विपक्षी को दिया जिस कारण विपक्षी को वित्तीय हानी हुई। पूर्व मे भी मंच के समक्ष एसे मामले सामने आए है, जिस में मंच द्वारा समरूप निर्णय लिये गये है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉव
देहरादून – 2
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27(
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27
ई–मेल cgrfgz@gmail.(

अपने स्तर से बिलिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ताकि provisional billing एवं accumulated reading आदि शिकायतों में कमी आ सके जिससे विभाग एवं प्रदेश को होने वाली राजस्व हानि से बचा जा सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80** बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31/07/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 27 / 2025

श्री अशोक कुमार आहुजा — परिवादी
निवासी– सी–45, एल०ए० सिटी,
ढूंगा कांसवाली, कोदरी माडुंवाला, सेलाकुई,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 31.07.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding frequent power failures and severe voltage fluctuations in LA city, Kanswali Kodari,Manduwala, selaqui, Dehradun.

The Complainant submits and prays as under:-

"*On behalf of L A City residence I express serious concerns regarding the frequent power failures and severe voltage fluctuations being experienced in our area* ***L A City,Kanswali Kodari,***

Manduwala, Selaqui, Dehradun 248007. *The power situation in this locality has becom extremely unreliable and problematic.*

There are multiple power cut daily – often more than 10 times – along with dangerous fluctuation in voltage. Low voltage causes essential appliances such as Microwave, Refrigerator and wate pumps to stop functioning, while occasional high voltage has led to damage to electrica equipment.

This has made our life miserable and poses risks to both safety and property.

I along with all the residence of L A City urge UPCL authority to investigate the root cause o these problems and take immediate corrective measures to ensure continuous and stable electricity supply to our society, before any undue incident take place despite repeated verbal and writter warnings. For your information numerous online/telephone complaints have been registered by many L A City member in the past but no attention is seen from your end.

Please consider this letter as a formal complaint and register it accordingly."

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 749, दिनांकित 29/07/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री अशोक कुमार आहुजा, निवासी–सी–45, एल०ए० सिटी, ढूंगा कासंवाली, कोठरी माण्डुवाला, सेलाकुई, देहरादून के विद्युत संयोजन संख्या MP71515517901 की विद्युत आपूर्ति 33/11 के०वी०

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपसंस्थान सेलाकुई–1 से निकलन वाले 11 के०वी० भाऊवाला पोषक से की जाती थी, दिनांक 21.07.2025 को 33/11 के०वी० उपसंस्थान AWHO से एक नये 11 के०वी० फीडर का निर्माण कार्य पूर्ण कर उक्त क्षेत्र को जोड दिया गया है जिससे उस लाईन की दूरी लगभग 08 किलोमीटर कम हो गयी है तथा साथ ही पूर्व फीडर की ओवर लोड की समस्या भी दूर हो गई है। वर्तमान में खराब मौसम एवं लाईन का वन क्षेत्र में होने के कारण भी कई बार आपूर्ति बाधित हुई है जिसे न्यूनतम समय में ठीक करने का प्रयास किया गया। एक नया 33/11 के०वी० उपसंस्थान ढूंगा में भी प्रस्तावित है जो कि केन्द्र की RDSS योजना में बनाया जाना है जिसके लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है जिसके बनने के पश्चात क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की समस्या का स्थायी समाधान हो पायेगा ।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि केन्द्र द्वारा पोषित RDSS योजना के तहत् नये 33/11 के0वी0 उपसंस्थान, ढूंगा बनने के उपरान्त परिवादी की बार–बार बिजली की आपूर्ति में रूकावट आना तथा अनियमित वोल्टेज की शिकायत का निवारण स्वतः हो जाएगा। विपक्षी के अनुसार उक्त उपसंस्थान हेतु भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है तथा मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मंच ने विपक्षी द्वारा एक नये लगभग 8 किलोमीटर छोटे 11 के0वी0 फीडर के निर्माण कर उक्त क्षेत्र को जोड़ देने का भी संज्ञान लिया है, जिससे उक्त क्षेत्र की आपूर्ति में आपेक्षित सुधार होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767:
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

मंच का मानना है कि विपक्षी द्वारा संबंधित क्षेत्र में अवरिल विद्युत स्पलाई तथा अनियमित वोल्टेज की शिकायत के निवारण हेतु उचित कदम लिये गये है तथा भविष्य में एक 33/11 के0वी0 उपसंस्थान के निर्माण (RDSS योजना के तहत्) की भी योजना है, जिससे परिवादी की समस्या का निवारण पूर्णतः हो जाएगा।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया किया जाता है कि प्रस्तावित उपसंस्थान जो कि केन्द्र की RDSS योजना के तहत बनाया जाना है को युद्धस्तर पर सम्पादित करे जिससे क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति तथा अनियमित वोल्टेज जैसी समस्याओं का समाधान हो सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31/07/25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 31/07
तकनीकी सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 28/2025

Shri. Tika Ram V/s **Executive Engineer, EDD, (South) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 30.07.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 30.07.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित है। विप द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में आख्या पत्रांक संख्या 612 दिनांकित 30.07.2025 प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके विद्युत मापक की डिस्पले खराब है, अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग : खराब विद्युत मीटर बदलने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 612 दिनांकित 30.07.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के मीटर डिस्प्ले में रीडिंग दिखाई दे रही है तथा उनका बिल मीटर में अंकित रीडिंग पर ही बनाया गया है दि0 29.07.2025 को उपभोक्ता की उपस्थिति में उनके मीटर को चैक किया गया तथा मीटर में रीडिंग 55394 KWH प गई।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अप लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/07/25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/07/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य